राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1690/2025

मो. जहीर खान —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन, झुंझुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनिल कुमार स्वामी, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र ककड़ेउ कलां, झुंझुनू में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र केरिया, जिला जालौर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अमन कुमार के स्थान पर 650 कि.मी. दूर किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वार ही अमन कुमार का उप केन्द्र केरिया, जालौर से अपीलार्थी के स्थान पर संमजित करने के आशय से किया गया। अपीलार्थी को स्थानान्तरण के दौरान यात्रा—भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी की पुत्री गम्भीर बीमारी से पीड़ित है, जिसको आई.सी.यू. में रखे जाने की आवश्यकता है, जिसका ईलाज जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक—3)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देश दिनांक 24.09.2019 के विपरीत जाकर किया गया है, जो विधि—विरूद्ध है। अपीलार्थी की पत्नी फार्मासिस्ट के पद पर उप जिला चिकित्सालय, मलसीसर, झुंझुनू में कार्यरत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र ककड़ेउ कलां, झुंझुनू में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी में अपीलार्थी पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र ककड़ेउ कलां, झुंझुंनू में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र केरिया, जिला जालौर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 31.05.2018 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य